

## एटा जनपद में सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति पर सरकारी कृषि विपणन व्यवस्था का प्रभाव

**RAVINDRA SINGH**असि० प्रोफेसर, अर्थशास्त्र  
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
जलेसर (एटा)**डॉ० उमेश कुमार शाक्य**असि० प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग  
माता भगवती देवी राजकीय महिला (पी०जी०) कॉलेज,  
आंवलखेड़ा, आगरा

### सारांश

उत्तर प्रदेश में सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति विभिन्न पक्षों के आधार पर कमजोर पायी गयी है। ये किसान अपने परिवार के भरण पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, आवास व्यवस्था, कृषि सुधार के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए निर्भर रहते हैं। प्रदेश में सीमान्त किसानों का कुल किसानों में 81 प्रतिशत भाग है। इन किसानों के पास जोतों का औसत आकार 0.40 हेक्टेयर पाया गया है। ये किसान बचत की कमी के कारण कृषि व्यवस्था का कुशल संचालन नहीं कर पाते हैं। सीमान्त किसान वर्ष भर कर्जदार बने रहते हैं। इन सीमान्त किसानों को के०सी०सी० के माध्यम से अत्यन्त कम ऋण प्राप्त होता है। ग्रामीण बड़े व मध्यम किसानों एवं शाहूकारों से ऊँची व्याज दर पर ऋण प्राप्त कर खेती की व्यवस्था करते हैं। ये सीमान्त किसान अपने बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। सीमान्त किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में सम्मान में कभी के साथ देखा जाता है। सीमान्त किसानों के आवास अव्यवस्थित पाये गये हैं। छोटी जोतों के कारण पर्याप्त खाद्यान्न एवं दैनिक उपभोग की साग सब्जियों का भी उत्पादन नहीं कर पाते हैं जिससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य निम्न स्तर का पाया गया है। सदस्य सामान्य रूप से किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या का सामना करते हैं।

### प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में सीमान्त, लघु, मध्यम तथा बड़े किसान पाये गये हैं। जनपद में सीमान्त किसानों की अधिकता है तथा इनकी अधिकता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी अन्तर पाया जाता है जो विभिन्न कारणों द्वारा प्रभावित रहता है। आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों के अन्तर्गत अनेक पक्षों को शामिल किया गया है। इसके मूल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनेक अवयव पाये जाते हैं जो सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति पर बहुआयामी प्रभाव डालते हैं। इन विभिन्न अवयवों में सरकारी विपणन व्यवस्था की अहम् भूमिका

पायी जाती हैं। सरकारी कृषि विपणन व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो न केवल सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है बल्कि अन्य सभी—लघु, मध्यम तथा बड़े किसानों को भी धनात्मक रूप से प्रभावित करती है। इस व्यवस्था का सभी श्रेणी के किसानों पर अलग-अलग प्रभाव पाया जाता है।

प्रस्तुत शोध पत्र में सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति पर ही सरकारी कृषि विपणन व्यवस्था के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इस विपणन व्यवस्था का सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति पर बहुपक्षीय तथा बहुस्तरीय प्रभाव पाया जाता है। जनपद में सरकारी कृषि विपणन व्यवस्था सामान्य रूप से पायी गयी है जो किसानों को निरन्तर प्रभावित कर रही है।

### शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन की अन्वेषणात्मक पद्धति को अपनाया गया है। प्रयुक्त की गयी शोध विधि के प्रमुख तत्व/चरण निम्नवत हैं।

1. **क्षेत्र**— अध्ययन हेतु एटा जनपद की जलेसर तहसील के दो विकास खण्डों — जलेसर तथा अवागढ़ को चयनित किया गया है।
2. **निदर्शन** — अध्ययन निदर्शन पद्धति पर आधारित है। जलेसर विकास खण्ड से पाँच गाँव— साथा नवीपुर, रसीदपुर, महानमई, अकबरपुर साथा तथा रामगढ़ी। अवागढ़ विकास खण्ड से नरहुली, पुन्हैरा, बसुन्धरा, रैजुआ तथा बधावाली गाँवों को चयनित किया गया है। प्रत्येक गाँव से 15—15 सीमान्त किसानों का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया है। इस प्रकार निदर्शन का कुल आकार 150 है।
- 3— **समंक संकलन** — अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक समकों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक समंक संकलन हेतु अनुसूची तथा अवलोकन विधि को अपनाया गया है तथा द्वितीयक समकों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया गया है। अध्ययन हेतु गुणात्मक तथा मात्रात्मक समकों को संकलित किया गया है।

### सीमांत किसान

सीमांत किसानों से हमारा तात्पर्य ऐसे किसानों/काश्तकारों से है जो एक हेक्टेयर या इससे छोटी जोतों के मालिक होते हैं। इस जोत का आकार लगभग 2.5 एकड़ होता है। एटा जनपद में सीमांत किसानों का अनुपात अन्य श्रेणी के किसानों की अपेक्षा अधिक है। सीमांत किसान, लघु किसान तथा भूमिहीन किसानों के मध्य की श्रेणी है जो इतनी छोटी जोतों से केवल अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में सक्षम होते हैं। एक एकड़ से कम छोटी जोतों के

मालिक कृषि से परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं। वे अपनी आजीविका के लिए कृषि के साथ-साथ अन्य कार्यों में भी संलग्न पाये जाते हैं। ये सीमांत किसान अन्य लघु एवं मध्यम तथा बड़े किसानों की जोतों पर बटाईदार एवं पट्टेदार के रूप में काश्तकारी करते हैं। सीमांत किसानों को काश्तकारी के दौरान अनेक प्रकार की वित्तीय तथा गैर-वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

भारत में कुल किसानों में सीमांत किसानों का 65.4 प्रतिशत भाग है जो देश की केवल 24 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि के मालिक हैं। सीमान्त किसानों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अर्द्ध किसान भी कहा जा सकता है।

### सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति –

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा वर्ष 2019 में स्पष्ट किया गया कि देश में सीमान्त किसानों के पास औसत जोत का आकार मात्र 0.38 हेक्टेयर है। औसत जोत का आकार अत्यन्त छोटा होने के कारण सीमान्त किसानों के परिवारों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर पायी गयी है। एटा जनपद में भी सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति निम्न स्तर पर पायी गयी है। परिवारों की आय का स्तर देश/प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय के स्तर से काफी निम्न पायी गयी है। जनपद में सीमान्त किसान छोटी जातों के साथ पशु-पालन/दुग्ध उत्पादन पर निर्भर पाये गये हैं तथा अन्य किसानों के खेतों में मजदूरी पर कार्य करते हैं। परिवार के मुखिया के अलावा अन्य कुछ सदस्य रोजगार के लिए नगरीय क्षेत्र या अन्य जनपदों में कार्य करते हैं।

**विपणन व्यवस्था के प्रभाव –** एटा जनपद में सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति पर सरकारी कृषि विपणन व्यवस्था के पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण निम्नवत किया गया है।

**I. आय की निरन्तरता –** सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर पायी गयी है। इसी संदर्भ में कृषि उपजों को बिना किसी संग्रहण के सरकारी मण्डियों में सममानुसार बेचा जाता है जिससे आय की निरन्तरता पायी गयी है। इसके सापेक्ष निजी व्यापारियों द्वारा समय पर फसल उत्पादन को क्रय न करना तथा समय पर भुगतान न करने के कारण सीमान्त किसानों को सरकारी कृषि, विपणन व्यवस्था का आय निरन्तरता सम्बन्धी लाभ हुआ है।

**II. उचित मूल्य की प्राप्ति –** सीमान्त किसानों की फसल उत्पादन को सरकारी बाजार में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर विक्रय किया जाता है जिससे उसे उचित मूल्य की प्राप्ति होती है। सरकारी विपणन व्यवस्था की जानकारी किसानों को विभिन्न माध्यमों/ साधनों द्वारा हो जाती है। इसीलिए

किसानों का उत्पादन मूल्य सम्बन्धी शोषण नहीं हो पाता है। उचित मूल्य की प्राप्ति से किसान की आय एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है जो परिवार की आर्थिक स्थिति पर धनात्मक प्रभाव डालती है।

**III. मूल्य ह्रास में कमी** – एटा जनपद में सरकारी विपणन व्यवस्था वर्ष भर सभी मौसमों में कार्य करती है जिससे फसलों के भण्डारण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। परिणामस्वरूप उत्पादन के मूल्य ह्रास की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, जो एक धनात्मक पक्ष है।

**IV. लाभकारी कृषि** – जनपद में उत्पादित होने वाले सभी कृषि उत्पादों का बाजार पाया जाता है। जनपद तथा तहसील स्तर पर सरकारी मण्डियों का संचालन है जिससे फसल उत्पादन की विक्री की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। फसल उत्पादन की पूर्ति तथा माँग के मध्य उचित सामन्जस्य स्थापित रहता है। जिससे किसानों की लाभकारी व्यापारिक व परम्परागत फसलों के उत्पादन में सहायता मिलती है।

**V. रोजगार में वृद्धि** – समय पर फसलों की विक्री तथा आय की प्राप्ति से कृषि एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों के संचालन में किसानों को कोई वित्तीय समस्या उत्पन्न नहीं होती है। फसल प्रतिरूप के परिवर्तन तथा नवाचार प्रयोग के कारण कृषि में रोजगार सृजन की क्षमता बढ़ गयी है जो किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने में अधिक सक्षम है।

**VI. शीघ्र आय प्राप्ति**– सरकारी कृषि विपणन व्यवस्था से सीमान्त किसानों को फसल विक्री से शीघ्र आय प्राप्त होती है। जनपद में जिला मण्डी के साथ-साथ अन्य उप-मण्डियों भी स्थापित हैं जिससे किसान अपनी सुविधानुसार फसल उत्पादन को विक्री के लिए कहीं भी ले जाता है। जनपद के सीमान्त किसान, सामूहिक रूप से जनपद से बाहर की मण्डियों में भी उत्पादन की विक्री करते हैं।

**VII. कृषि विविधीकरण एवं गहनता पर प्रभाव** – एटा जनपद की जलेश्वर तथा अवागढ़ विकास खण्ड के सीमांत किसान सरकारी विपणन व्यवस्था से परोक्ष रूप से भी प्रभावित पाये गये हैं। कृषि विपणन की समयानुकूल व्यवस्था तथा भुगतान की उचित व्यवस्था के कारण जनपद में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिला है। इसके साथ कृषि विविधीकरण की गहनता में भी वृद्धि पायी गयी है जिसके परिणामस्वरूप सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति पर धनात्मक प्रभाव पाया गया है। कृषि विविधीकरण से किसानों की आय तथा रोजगार उपलब्धता में वृद्धि होती है।

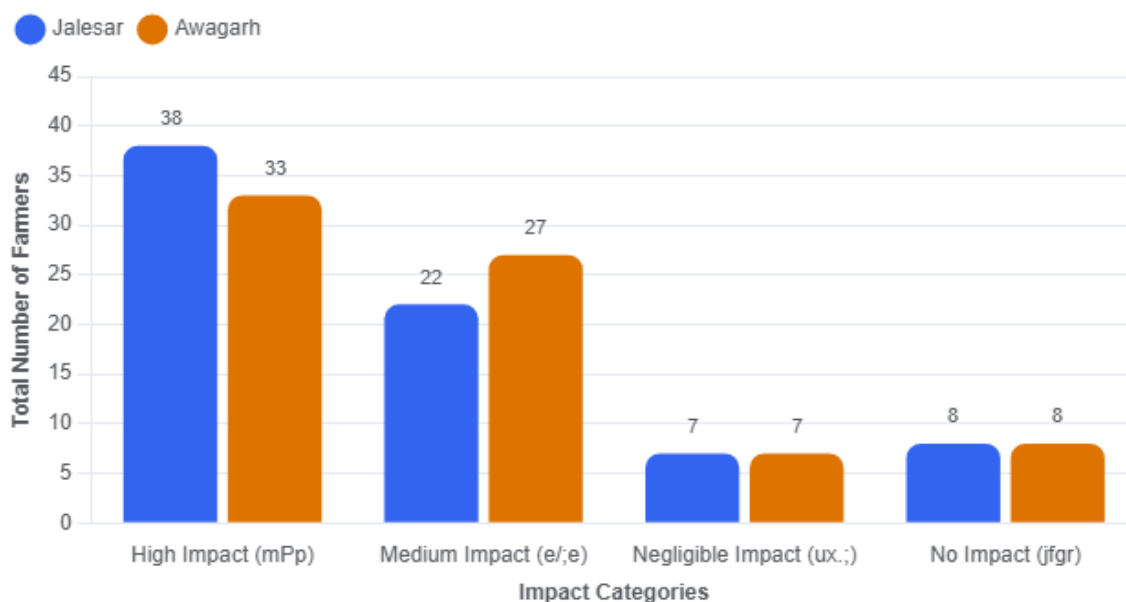
**VIII. अन्य प्रभाव** – एटा जनपद में उपर्युक्त धनात्मक प्रभावों के साथ-साथ अन्य परोक्ष प्रभाव भी पाये गये हैं जो किसानों की आर्थिक स्थिति को सकारात्मक रूप से देखे गये हैं। किसानों की आवास व्यवस्था, खान पान, रहन-सहन तथा पशुपालन व्यवसाय पर भी धनात्मक प्रभाव पाया गया

है। जनपद में सरकारी कृषि विपणन व्यवस्था के प्रभावों के स्तर एवं गहनता को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया जा सकता है।

तालिका – 1 : सरकारी विपणन व्यवस्था के प्रभाव

| विकास खण्ड/ गाँव         | प्रभाव का स्तर |             |           |           |             |
|--------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|                          | कुल किसान      | उच्च प्रभाव | मध्यम     | नगण्य     | प्रभाव रहित |
| <b>जलेसर विकास खण्ड</b>  |                |             |           |           |             |
| 1. साथा नवीपुर           | 15             | 08          | 03        | 02        | 02          |
| 2. रसीदपुर               | 15             | 07          | 07        | —         | 01          |
| 3. महानमई                | 15             | 09          | 04        | 02        | —           |
| 4. अकबरपुर साथा          | 15             | 06          | 03        | 02        | 04          |
| 5. रामगढ़ी               | 15             | 08          | 05        | 01        | 01          |
| <b>योग</b>               | <b>75</b>      | <b>38</b>   | <b>22</b> | <b>07</b> | <b>08</b>   |
| <b>अवागढ़ विकास खण्ड</b> |                |             |           |           |             |
| 1. नरहुली                | 15             | 08          | 05        | 01        | 01          |
| 2. पुन्हैरा              | 15             | 04          | 06        | 03        | 02          |
| 3. बसुन्धरा              | 15             | 09          | 06        | —         | —           |
| 4. रंजुआ                 | 15             | 06          | 06        | 02        | 01          |
| 5. बधावली                | 15             | 06          | 04        | 01        | 04          |
| <b>योग</b>               | <b>75</b>      | <b>33</b>   | <b>27</b> | <b>07</b> | <b>08</b>   |
| <b>कुल योग</b>           | <b>150</b>     | <b>71</b>   | <b>49</b> | <b>14</b> | <b>16</b>   |

स्रोत: सर्वेक्षण से प्राप्त समंक



उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एटा जनपद के जलेसर विकास खण्ड तथा अवागढ़ विकास खण्ड के चयनित गाँवों में सीमान्त किसानों पर पड़ने वाले सरकारी कृषि विपणन व्यवस्था के प्रभावों के स्तर में अत्यधिक समानता है। उच्च, मध्यम तथा नगण्य प्रभाव वाले किसानों की संख्या में ज्यादा अन्तर नहीं है। जलेसर विकास खण्ड के पाँच ग्रामों में उच्च प्रभाव वाले सीमान्त किसानों की संख्या 38 पायी गयी तथा मध्यम, नगण्य व प्रभाव रहित सीमान्त किसानों की संख्या क्रमशः 22, 07 तथा 08 पायी गयी। यही प्रभाव वाले सीमान्त किसानों की संख्या अवागढ़ में क्रमशः 33, 27, 07 तथा 08 पायी गयी है।

ग्राम स्तर पर सरकारी कृषि विपणन व्यवस्था के प्रभावों में व्यक्तिगत स्तर पर अन्तर पाया गया है। उच्च प्रभाव, मध्यम प्रभाव, नगण्य प्रभाव तथा प्रभाव रहित किसानों की संख्या के मध्य अन्तर उल्लेखनीय है। व्यक्तिगत सीमान्त किसानों के स्तर पर यह अन्तर दोनों विकास खण्डों—जलेसर एवं अवागढ़ के समस्त ग्रामों में पाया गया है। जलेसर विकास खण्ड में उच्च प्रभाव वाले सीमान्त किसानों की सर्वाधिक संख्या 09 महानमई ग्राम में पायी गयी। इस गांव में प्रभाव रहित सीमान्त किसान नहीं पाया गया। उच्च प्रभाव वाले सीमान्त किसानों की सबसे कम संख्या अकबरपुर साथा में 06 पायी गयी। इस गांव में प्रभाव रहित सीमांत किसानों की संख्या सर्वाधिक 04 पायी गयी।

इसी क्रम में अवागढ़ विकास खण्ड के चयनित ग्रामों में उच्च प्रभाव वाले सबसे अधिक सीमांत किसान बसुन्धरा में पाये गये। बसुन्धरा में नगण्य तथा प्रभाव रहित सीमांत किसानों की संख्या नहीं (0) पायी गयी। इस विकास खण्ड के ग्राम पुन्हैरा में उच्च प्रभाव वाले सबसे कम सीमान्त किसान 04 पाये गये। वधावली ग्राम में प्रभाव रहित सीमांत किसानों की सर्वाधिक संख्या 04 पायी गयी।

### निष्कर्ष –

एटा जनपद में सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति पर सरकारी कृषि विपणन व्यवस्था का बहुआयामी तथा धनात्मक प्रभाव पाया गया है। जनपद में सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर रही है। सरकारी विपणन व्यवस्था से कृषि कार्य करने की प्रवृत्ति सुदृढ़ हुई है तथा परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका पायी गयी है। सरकारी विपणन व्यवस्था से सीमांत किसानों में कृषि कार्य में उनका आर्थिक भविष्य पिछले कुछ दशकों की अपेक्षा स्पष्ट हुआ है। इस व्यवस्था से सीमांत किसानों की कृषि आय पूर्ण रूप से सुरक्षित हुई हैं तथा कृषि आय में काफी कमी आयी है। आय के साथ-साथ रोजगार तथा कृषि सुधारों की ओर सीमान्त किसानों में संवेदनशीलता उत्पन्न हुई है। सरकारी कृषि विपणन व्यवस्था से किसानों की फसल का मूल्य सुरक्षित हुआ है।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची –**

1. कपिल एच० के० (2001), अनुसंधान विधियाँ—व्यवहारपरक विज्ञानों में, एच०पी० भार्गव बुक हाउस, आगरा।
2. कुमार, महेन्द्र एवं शर्मा (2018), भारतीय कृषि अर्थशास्त्र, सनराइज पब्लिकेशन, दिल्ली
3. कात्यायन, अरुण (2017), कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धान्त, किताब महल, इलाहाबाद।
4. कश्यप, वंदना (2012), छत्तीसगढ़ जिले के रायपुर जिले में कृषि उत्पादन की प्रवृत्तियों एवं निधरिक तत्त्वों का आर्थिक विश्लेषण
5. कुमार, सुशील (2022), उ०प्र० के ग्रामीण विकास पर कृषि साख का प्रभाव, आगरा
6. कुमार एवं शर्मा (2017), ग्रामीण विकास के तत्व, सनराइज पब्लिकेशन, दिल्ली